फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्री अर्जुनसिंह फतेहसिंह सोलंकी निवासी 108 केवल कोम्पलेक्ष,
नवागाम, उधना सुरत, गुजरात

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द
लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर, जिला राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट

केस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 37/2018**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 21.01.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0 अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांकः– प.1( )सू0अ0,05/2018/751–752 दिनांक 10 सितम्बर, 2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलांट का आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 10.07.2018 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना तहसीलदार गढबोर की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्राकः– प.1( ) सू0अ0,05/2018/528–29 दिनांक 11.07.2018 को प्रेषित किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर इस अनुभाग द्वारा समय पर कार्यवाही कर संबंधित विभाग को प्रार्थी/अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु भिजवाया गया। लो0सू0 अधिकारी, तहसीलदार, गढबोर के पत्रांकः–सू.अ.अ/05/भू.अ./2019/77–78 दिनांक 21.01.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी प्रतिलिपियों के संबंधित कार्मिक को जरिये पत्र क्रमांक सू.अ.अ./05/भू.अ./2018/1433–36 दिनांक 20.07.2018 से रेकार्ड की प्रतियां प्रार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया एवं प्रार्थी को नकले प्राप्त करने बाबत जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. के सूचित कर दिया गया । प्रार्थी को रेकार्ड की प्रतिया प्राप्त करने बाबत सूचित करने के उपरान्त भी प्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ है। जिससे प्रार्थी को रेकार्ड की प्रतिया नहीं दी जा सकी है।	

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर ने अपीलार्थी को तैयारशुदा प्रतिलिपियों के तहत कितना शुल्क नियमानुसार देय होता है, के बारे में अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया, जो कि करना चाहिये था। अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढबोर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सूचित किया जाकर चाही गयी वांछित सूचना 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, गढबोर को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0. से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)